माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

नामांकन / 2013 / क्रमांक 531

भोपाल, दिनांक 14 जून 2013

अधिसूचना

अंकसूची में त्रुटि सुधार

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों (UTD) तथा अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्र नामांकन / पंजीयन फार्म को ऑनलाइन अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वांछित सभी प्रविष्ठियाँ सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं।

1. यदि नामांकन / पंजीयन फार्म की प्रविष्ठि यथा छात्र / माता / पिता / पति के नाम, सरनेम की वर्तनी (Spelling) अथवा फोटो में त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए निम्नलिखित शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है:–

- शुल्क रू. 500 / – प्रति अंकसूची बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाइन के माध्यम से।
- वर्तनी (Spelling) में त्रुटि सुधार हेतु हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है।
- फोटो संशोधन हेतु सत्यापित फोटो आई.डी प्रमाण (पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी.) एवं दो मूल फोटो।
- विवाहोपरान्त सरनेम परिवर्तन की दशा में रू. 100 / – के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र।

2. छात्र के नाम में परिवर्तन की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

- छात्र के नाम में परिवर्तन तभी किया जावेगा जब अन्य प्रविष्ठियाँ यथा माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो इत्यादि का मिलान हो।
- प्रस्तावित सही नाम के छात्र की अन्य प्रविष्ठियों में, वर्तमान एवं भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- नाम में परिवर्तन का शुल्क रू. 1000 / – प्रति अंकसूची बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाइन के माध्यम से देय है।
- हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है, जमा करना आवश्यक है।
- छात्र को रूपये 100 / – के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड मूल शपथ पत्र देना होगा जिसमें उल्लेखित हो कि छात्र द्वारा संबंधित अध्ययन संस्था में प्रवेश लिया गया है तथा भविष्य में नाम परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

ई-8, त्रिलोचन नगर, शाहपुरा, पो.बॉ.-आर.एस.एन. 560, भोपाल - 462039, फोनः (0755) 272559, 2725307 फैक्स : (0755) 2561970
E-8, Trilochan Nagar, Shahapura, P.O Box No. R.S.N.-560, Bhopal-462029, Phone- (0755) 2725559, 2725307, Fax: (0755) 2561970
website - www.mcu.ac.in

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों (UTD) के छात्रों के नामांकन फार्म में यदि त्रुटि होती है तो नामांकन के पश्चात संबंधित विभागों द्वारा समस्त प्रविष्ठियों को एक सप्ताह तक नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे ठीक किया जायेगा एवं इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। यह दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। एक सप्ताह पश्चात त्रुटि सुधार संबंधी आवेदन पर रू. 500/– प्रति अंकसूची की दर से शुल्क विद्यार्थी को देना होगा।

4. अध्ययन संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन फार्म आन लाइन से भरे जाते हैं, अतएव किसी भी तरह की त्रुटि होने पर त्रुटि सुधार शुल्क अध्ययन संस्था को वहन करना होगा। वे इसे विद्यार्थियों से वसूल नहीं कर सकेंगे। त्रुटि सुधार आवेदन केवल अध्ययन संस्था के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे।

5. नामांकित छात्रों के प्रकरणों में त्रुटि सुधार आवेदन <u>केवल प्रथम सेमेस्टर में ही</u> स्वीकार किये जायेंगे।

6. ये नियम परिपत्र के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(डॉ. चंदर सोनाने)
कुलसचिव

पृष्ठांकन/नामांकन/क्रमांक/532/2013

भोपाल, दिनांक 14.जून 2013

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. निदेशक, ए.एस.आई. मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
3. निदेशक, नोएडा परिसर को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, खण्डवा परिसर को सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
6. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
8. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. चंदर सोनाने)
कुलसचिव